न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 186 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. खंगाराराम पुत्र मदरूपाराम
2. गीगाराम पुत्र नगाराम
3. लालाराम पुत्र नगाराम
4. आदाराम पुत्र नगाराम
5. श्रीमती रामूदेवी पत्नी नगाराम
   जाति कलबी निवासी रतनपुरा
   तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भगाराम पुत्र तुलछाराम
2.भैराराम पुत्र तुलछाराम
3.पांचाराम पुत्र तुलछाराम जाति कलबी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
5.शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी।
6.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 53/2016 बअनवान खंगारा वगै. बनाम भगा वगै. में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 08.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 1 से 3 संयुक्त हिन्दू परिवार से है जो हिन्दू विधि से शासित है। पक्षकारान पूर्व पुरूष मदरूपा पुत्र हेमा के वारीस व उतराधिकारी है। मदरूपा के तीन पुत्र तुलछा, नगा व खंगारा थे। इसके अलावा मदरूपा के कोई पुत्र नहीं था। पक्षकारान की संयुक्त कब्जा काश्त व पैतृक पुश्तैनी की भूमि वक्त बन्दोबस्त मौजा रतनपुरा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खेत खसरा संख्या 09 रकबा 29.09 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 20.03 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 08.18 बीघा, खसरा संख्या 140 रकबा 115.03 बीघा, खसरा संख्या 253 रकबा 55.08 बीघा, खसरा संख्या 274 रकबा 42.01 बीघा, खसरा संख्या 308 रकबा 46.18 बीघा, खसरा संख्या 359 रकबा 64.16 बीघा, खसरा संख्या 499/1 रकबा 13.05 बीघा, खसरा संख्या 499/2 रकबा 30.14 बीघा, खसरा संख्या 442 रकबा 121.07 बीघा, खसरा संख्या 499 रकबा 24.18 बीघा व खसरा संख्या 498 रकबा 00.02 बीघा वर्तमान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी पक्षकारान के पूर्व पुरूष मदरूपा वल्द हेमा की खातेदारी की थी। पक्षकारान के वालिद मदरूपा का लगभग सन् 1972 में देहान्त हो गया। मदरूपा के फौतगी के विरासत में भरा गया नामान्तकरण उनके तीनों पुत्र तुलछाराम, नगाराम व खंगाराराम के अलावा तुलछाराम के पुत्र भगाराम का भी नाम मदरूपा के वारिसान में अंकन कर अपीलाधीन आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा कर दिया गया। लेकिन भगाराम मदरूपा के पुत्र न होकर मदरूपा के पुत्र तुलछा के पुत्र है। जिसने भूमि हड़पने की नियत से अपने आप को मदरूपा का पुत्र बताकर मदरूपा के फौतगी का नामान्तकरण भरवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 से 03 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र धारा 11 सहपठित धारा 151 सी पी सी का दिनांक 09.12.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसाक अपीलांट पक्ष की ओर से दिनांक 23.12.2016 को जबाव पेश किया गया उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदातागण का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबावदावा लिये, बिना तनकी कायम किये व बिना साक्ष्य के वाद खारीज किया गया। उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 11 सहपठित धारा 151 सी पी सी में वर्णित बिन्दु शुद्ध विधि के बिन्दु नही होने से तथा प्रार्थना–पत्र में उठाये गये बिन्दु विधि व तथ्यों के मिश्रित बिन्दु होने के कारण उक्त साक्ष्य के बाद ही निर्णित किये जा सकते है। उक्त प्रावधन को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरित आलोच्य निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के वालिद मदरूपा का लगभग सन् 1972 में देहान्त हो गया। मदरूपा के फौतगी के विरासत में भरा गया नामान्तकरण उनके तीनों पुत्र तुलछाराम, नगाराम व खंगाराराम के अलावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तुलछाराम के पुत्र भगाराम का भी नाम मदरूपा के वारिसान में अंकन कर अपीलाधीन आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा कर दिया गया। लेकिन भगाराम मदरूपा के पुत्र न होकर मदरूपा के पुत्र तुलछा के पुत्र है। जिसने भूमि हड़पने की नियत से अपने आप को मदरूपा का पुत्र बताकर मदरूपा के फौतगी का नामान्तकरण भरवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 से 03 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र धारा 11 सहपठित धारा 151 सी पी सी का दिनांक 09.12.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसाक अपीलांट पक्ष की ओर से दिनांक 23.12.2016 को जबाव पेश किया गया उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदातागण का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबावदावा लिये, बिना तनकी कायम किये व बिना साक्ष्य के वाद खारीज किया गया। उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 11 सहपठित धारा 151 सी पी सी में वर्णित बिन्दु शुद्ध विधि के बिन्दु नही होने से तथा प्रार्थना–पत्र में उठाये गये बिन्दु विधि व तथ्यों के मिश्रित बिन्दु होने के कारण उक्त साक्ष्य के बाद ही निर्णित किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विपरित आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित व मौखिक बहस करते हुए बताया कि पक्षकारान पूर्व पुरूष मदरूपा वल्द हेमा के वंशज उतराधिकारी है। मदरूपा के चार पुत्र तुलछा, नगा, भगा व खंगारा है जिसका अपीलाधीन आराजी में बहिस्सा बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकार हासिल है। अपीलाधीन आराजी पक्षकारान को मदरूपा की विरासत से प्राप्त हुई है। अपीलाधीन आराजी में उतरदाता संख्या 1 का नाम भगाराम पुत्र मदरूपा दर्ज है जो सही व सत्य है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में इसी पक्षकारान के मध्य इसी विवाद विषय वस्तु को लेकर एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 214/1973 पेश किया जिसमें तुलसा वादी, नगा, भगा व खंगारा प्रतिवादी थे। जिसमें पक्षकारान के ईकबालिया जबाव के आधार पर इस वाद को दिनांक 23.02.1974 को स्वीकार कर डिक्री जारी कर अपीलाधीन आराजी का विभाजन किया गया। जिसमें मदरूपा के चार पुत्रों का विभाजन हुआ। अपीलांटगण ने तथ्य छुपाकर दुराश्य से पुनः नया वाद (53/2016) उसी अधिकारिता वाले अधीनस्थ न्यायालय में उसी विवाद विषय वस्तु को लेकर उन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध पेश किया गया। उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक आवेदन धारा 11 सी पी सी का पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिसका दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 23.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व–न्याय के सिद्धान्त के आधार पर वाद सही रूप से खारीज किया गया है। पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस सूत्र पर आधारित है कि "किसी व्यक्ति को एक ही मामले के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिये।" यदि धारा 11 सी पी सी का प्रयोजन नहीं समझा जाता है तो किसी मामले का अंतिम निपटारा संभव नहीं है। उसी विवाद विषय वस्तु को लेकर बार–बार नया वाद पेश किया जायेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2006(2) Page 1329
RRT 2001(1) Page 497
धारा 11 सी पी सी पूर्वन्याय पृष्ठ 140

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट को प्रत्येक पेशी पर आने का मना किया हुआ था। अभी 4–5 दिन पूर्व जब अपीलांट अपने प्रकरण की जानकारी लेने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तब वकील द्वारा अवगत करवाया गया कि आपका केस खारीज हो चुका है। जिस पर अपीलांट पक्ष द्वारा नकले तैयार कर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2016 अपीलांटगण की उपस्थिति में पारित किया गया है। उस दिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 11 सी पी सी का जबाव पेश किया गया तथा दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रकरण निर्णित किया गया तथा उसके वाद दिनांक 09.01.2017 को उक्त प्रकरण की नकले प्राप्त की गई और नकले मिलने के करीबन 11–12 माह बाद दिनांक 21/12/2017 को असाधारण देरी व घोर लापरवाही से जानबुझकर देरी से अपील पेश की गई। जो विलम्ब सद्भावना पूर्वक नहीं है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRT 2012(2) Page 1124

RRT 2012(2) Page 1177

अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपील प्रस्तुति में लगभग 11–12 माह की देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि तत्कालीन समान क्षेत्राधिकार वाले अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 214/1973 तुलसा बनाम नगा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 23.02.1974 की आदेशिका मामले में प्रकाश डालती हैं। इसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि **"माफिक इकबाली जबावदावा बंटवाड़े का प्रतिवादीगण (अपीलांटगण) द्वारा दिनांक 18.08.1973 को ध्यान में रखते हुए माफिक नक्शा बंटवाड़ा"** किया गया। इसमें विवादग्रस्त भूमि मौजा रतनपुरा के खसरा संख्या 140, 308, 359, 253, 274, 25 व 9 थी, जो वर्तमान में मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी, जसवंत नगर, रतनपुरा, गाडरियों की ढाणी व सोढों की ढाणी में स्थित है। अपीलाधीन निर्णय तथा हस्तगत अपील में उपरोक्त सभी खेत उपरोक्त वाद की विषय–वस्तु रहे हैं। इसमें तत्समय विद्यमान पक्षकारों के मध्य उपरोक्त खसरों की भूमि का बंटवाड़ा हुआ जिनके विधिक वारिसान इस अपील में पक्षकार हैं। तत्समय आपसी सहमति **(इकबालिया जबावदावा के फलस्वरूप)** से बंटवाड़े में नगा, भगा, खंगारा को उक्त खसरों में हक–हिस्से अनुसार भूमि विभाजित कर दे दी गई तथा शेष खसरों में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की बराबर–बराबर 4 हिस्सों में भूमि रखी जाकर वाद निर्णय/डिक्री कर **पूर्णरूपेण निस्तारित कर दिया गया।** इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय उपरोक्त विवेचन के आलोक में **"पूर्ण न्याय के सिद्धान्त" (Res-Judicata)** पर विवेचित किया जाकर खारिज किया गया है, वह विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाए जाने से दखल करना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण तथा पूर्व न्याय के सिद्धांत से विधि वर्जित होने से अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2016 बजनवान खंगारा वगै. बनाम भगा वगै. में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner